# ग्राम पंचायत पलाच, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/13 से 3/16

## भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पलाच, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–**

**(1) प्रधानः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती ईन्द्रा देवी | 1.4.13 से 22.1.16 |
| 2 | श्रीमती फूला देवी | 23.1.16 से 31.3.16 |

**(2) सचिवः–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री रीतम चन्द | 1.4.13 से 31.3.16 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

ग्राम पंचायत पलाच के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना | – |
| 2 | 4.2 | रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर | 0.80 |
| 3 | 8 | गृहकर राजस्व की वसूली शेष | 0.09 |
| 4 | 10 | अनुदान का उपयोग शेष श | 9.48 |
| 5 | 11 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय | 2.34 |

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत पलाच, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.3.17 से 23.3.17 तक कार्यालय ग्राम पंचायत पलाच में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 3/15 व 1/16 तथा 3/14, 11/14 व 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत पलाच, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2017-29, दिनांक 23.3.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पलाच से अनुरोध किया गया है।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

ग्राम पंचायत पलाच द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

**(1) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– बैंक खातों के अनुसार**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 486316 | 2736755 | 18917 | 3241988 | 2727584 | 514404 |
| 2014–15 | 514404 | 1021075 | 19401 | 1554880 | 973036 | 581844 |

**(2) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– रोकड़ बहियों के अनुसार**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 533580.44 | 2498788 | 23372 | 3055740.44 | 1577237 | 1478513.44 |

**बैंक खातों में अन्तिम शेषः–** ग्राम पंचायत पलाच द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–I (ग)** के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से था।

| क्र0सं0 | बैंक | खाता सं0 | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | के0सी0सी0 | 20010011295 | 1250349 |
| 2 | के0सी0सी0 | 50052117245 | 111033 |
| 3 | के0सी0सी0 | 50056271565 | 144430 |
| 4 | के0सी0सी0 | 50052117041 | 52936 |
| | | **कुल** | **₹1558748** |
| | | हस्तगत राशि | (+) 50 |
| | अन्तर | | **1558798** |
| (i) | बैंक खातों के अनुसार शेष | | ₹1558798 |
| (ii) | रोकड़ बहियों के अनुसार शेष | | ₹1478513.44 |
| | अन्तर | | ₹80284.56 |

**(2) मनरेगाः– पास बुक के अनुसार (A/C No. 0596000101124575)**

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 307120 | 1609821 | 5509 | 1922450 | 1868562 | 53888 |
| 2014–15 | 53888 | 616333 | 2623 | 672844 | 665803 | 7041 |
| 2015–16 | 7041 | 58279 | – | 65320 | 65320 | शून्य |

## 4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत पलाच की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया था। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरण रोकड़ बही में दर्शाया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 व 2014–15 में रोकड़ बही में अथशेष व अन्तिम शेष राशियों की गणना नहीं की गई थी जोकि उक्त नियम के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। पंचायत द्वारा वर्ष 2015–16 में रोकड़ बही में दिनांक 3.4.15 को बैंक खाते में जमा शेष राशि को अथशेष लेकर प्रत्येक आय व व्यय की प्रविष्टि के साथ अन्तिम शेष की गणना की गई है। अतः वर्ष 2013–14 व 2014–15 में रोकड़ बही का निर्माण नियम 7 के अनुसार न करने तथा वर्ष 2015–16 में अथशेष राशि की प्रविष्टि बैंक पास बुक से लेने की अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का निर्माण पंचायती राज

(वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाए तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.80 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत पलाच की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत की मुख्य रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹80284.56 का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की मुख्य रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

## 5 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विवरणः–

ग्राम पंचायत पलाच के सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ग)** में दर्शाया गया है।

## 6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | दिनांक | हस्तगत राशि |
|---|---|---|
| 1 | 24.7.14 से 31.7.14 | 1137 |
| 2 | 25.5.15 से 6.6.15 | 1238 |
| 3 | 21.8.15 से 9.9.15 | 2333 |
| 4 | 8.2.16 से 19.2.16 | 5613 |
| 5 | 20.2.16 से 24.2.16 | 12353 |
| 6 | 25.2.16 से 2.3.16 | 43113 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 1.1.14 | 11023 |
| 8 | 2.1.14 | 20463 |
| 9 | 4.1.14 | 27043 |
| 10 | 6.1.14 | 37608 |
| 11 | 12.1.14 | 37608 |
| 12 | 13.1.14 | 37118 |
| 13 | 24.1.14 | 39028 |

**7 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में ही तैयार किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**8 गृहकर राजस्व ₹0.09 लाख की वसूली शेषः–**

पंचायत की गृहकर से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.16 तक पंचायत गृहकर ₹8655 की **(परिशिष्ट–3)** वसूली शेष थी। अतः गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

**9 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों का माँग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या P.C.H./H.A./8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर का ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 हर वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्रति टावर प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें 5 वर्ष के पश्चात नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि करना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत पलाच के लेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के क्षेत्र में वर्तमान में मोबाईल टावर वर्ष 2005–06 से स्थापित है, परन्तु पंचायत द्वारा मोबाईल टावर से प्राप्त शुल्क का मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं

किया गया है। अभिलेख के अभाव में दिनांक 31.3.13 को कितनी राशि की वसूली मोबाईल टावरों से शेष थी, का ब्यौरा पंचायत में उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक जो राशि पंचायत द्वारा वसूल की गई का विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है। अतः दिनांक 31.3.16 तक विभिन्न मोबाईल टावरों से वसूली हेतु शेष राशि की गणना टावरों के स्थापना वर्ष से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा मांग व वसूली रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**10 अनुदान ₹9.48 लाख का उपयोग हेतु शेष रहनाः–**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई **परिशिष्ट–4** के सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 तक प्राप्त कुल अनुदानों में से ₹948270 का उपयोग शेष थी। पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र के अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि में व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की शेष राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

**11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.34 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹234030 के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| Sr.No. | Name of Register |
|---|---|
| 1 | Bill Register-From 13 |
| 2 | Cheque issue/receipt Register |
| 3 | Work Register |
| 4 | Stationery Register-Form 28 |
| 5 | Temporary Advance Register |
| 6 | T.A. Check Register-Form 20 |

## 13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| Sr.No. | Grant | Name of work |
|---|---|---|
| 1 | 13th F.C. | निर्माण शौचालय, पंचायत भवन |
| 2 | SDP | निर्माण सामुदायिक भवन ईश्वर महादेव जमंद |
| 3 | SDP | निर्माण सामुदायिक भवन शाघड़ी सौह |
| 4 | IWMP | वर्षा टैंक, बीना देवी, कालूरोपा |
| 5 | SDP | निर्माण सामुदायिक भवन, दादीं |
| 6 | TSC | सामुदायिक शौचालय, नजदीक कमला देवी के घर के पास कालूरोपा |
| 7 | MGNERGA | पक्का रास्ता कालूरोपा |

## 14 क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत प्रत्येक क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है। अतः इस

सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही खपत विवरण सहित अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| Sr.No. | Grant | Cash Book page/Date | Bill No. | Description of firm | Item | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13th FC | 88/6.3.14 | 245 to 250/6.3.14 | M/S Diwan hardware store, Banjar | Const.Material | 28170 |
| 2 | SDP | 89/10.3.14 | 556/15.8.13 | M/S H/capt.Lal Singh Thakur, plach | Sand | 4500 |
| 3 | IWMP | 90/11.3.14 | 70/20.1.14 | M/S Negi Welding work shop, Banjar | Angles | 1840 |
| 4 | SDP | 91/11.3.14 | 224/9.7.13 | M/S Mahant Enterprises Banjar | Paint | 690 |
| 5 | SDP | 92/12.3.14 | 627/23.10.13 | M/S H/Capt. Lal Singh Thakur, Palach | Sand Agg. | 9000 |
| 6 | OWN | 93/2.3.14 | 2387/2.3.14 | M/S D.S.M infotech, Kullu | Printer | 6320 |
| 7 | OWN | 93/25.3.14 | 073/11.2.14 | M/S Negi welding work shop, Banjar | Railing & pipes | 13790 |
| 8 | OWN | 94/26.3.14 | 119/5.3.14 | TBS Printer"s Banjar | Stamps | 500 |
| 9 | OWN | 95/28.3.14 | 38/25.12.13 | M/S Digital Solutions Banjar | Pendrive | 570 |
| 10 | OWN | 17/22.11.14 | 287/22.9.14 | M/S Kuthiala electronics, Banjar | Adopter | 350 |
| 11 | IWMP | 11/10.11.14 | CS14914/10.11.14 | M/S HP State civil Supplies | Cement | 7020 |
| 12 | SDP | 13/20.10.14 | 630/11.4.14 | M/S Vinayak Hardware store, Banjar | Paint | 13450 |
| 13 | OWN | 10/25.9.14 | 310/28.7.14 | M/S TBS Printers Banjar | Stationery | 1215 |
| 14 | OWN | 33/8.1.16 | 222/5.12.15 | M/S Selection cloth Emporium, Banjar | Uniform | 840 |
| 15 | VKVNY | 29/26.11.15 | 1586 & 87/26.11.15 | M/S Roshan Cement store, Bhunter | iron sheets | 79260 |

**15 मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रोल को पूर्ण न करने बारेः–**

मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रोल में दिए गए कालम में प्रत्येक आवेदक के हस्ताक्षर लेना व जिस पंचायत सदस्य को कार्य की देखभाल के लिए मस्ट्रोल जारी किया जाता है, को

मस्ट्रोल अवधि के प्रत्येक दिन हस्ताक्षर करके आवेदकों की उपस्थिति सत्यापित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल संख्या में आवेदकों व कुछ मामलों में पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नहीं पाए गए। मस्ट्रोलों को पूर्ण करवाए बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण करवाए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में मस्ट्रोल के प्रत्येक कालम को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | मस्ट्रोल सं0 | अवधि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 5455 से 56 | 6.2.14 से 21.2.14 | 24702 |
| 2 | 5464 से 5466 | –यथोपरि– | 39744 |
| 3 | 5467 से 5469 | –यथोपरि– | 46506 |
| 4 | 5445 से 5447 | –यथोपरि– | 39192 |
| 5 | 5549 से 5551 | –यथोपरि– | 42504 |
| 6 | 6209 से 6211 | –यथोपरि– | 48990 |
| 7 | 6213 से 6215 | –यथोपरि– | 45540 |
| 8 | 6226 व 6227 | 6.3.14 से 21.3.14 | 35466 |
| 9 | 1665 व 1666 | 6.8.14 से 21.8.14 | 25872 |
| 10 | 1668 से 1670 | –यथोपरि– | 46046 |
| 11 | 2400 व 2401 | –यथोपरि– | 28490 |
| 12 | 2815 व 2816 | 22.10.14 से 5.11.14 | 32340 |
| 13 | 2829 व 2830 | –यथोपरि– | 22330 |
| 14 | 3338 व 3339 | 21.11.15 से 6.12.15 | 29484 |
| 15 | 3344 व 3345 | –यथोपरि– | 27216 |
| 16 | 3653 व 3654 | 7.12.15 से 21.12.15 | 29484 |
| 17 | 3661 | –यथोपरि– | 20412 |
| 18 | 3665 व 3666 | –यथोपरि– | 24948 |

## 16 क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ अनुचित रूप से करनाः–

पंचायत की स्टॉक रजिस्टरों की जाँच में पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा क्रय विभिन्न मदों की प्रविष्टियाँ एक ही पन्ने में की गई जोकि इस सन्दर्भ में विहित प्रक्रियानुसार अनुचित है। अतः प्रत्येक मद का पृथक–2 खाता पृथक–2 पन्ने पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि पंचायत के पास अमुक तिथि को अमुक मद की कितनी प्रमात्रा शेष थी/है।

**17** **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

**18** **निष्कर्षः–** पंचायत की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iii)12/2017–3223–3226दिनाँक12.06.2017शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत**

1 सचिव, ग्राम पंचायत पलाच, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046